राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1277

21 सितंबर, 2020 को उत्तर के लिए

इस्पात उद्योग की माँग और उत्पादन

1277. श्री महेश पोद्दार:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2020 के अप्रैल से अगस्त महीने के लिए देश के लोहा और इस्पात उद्योग में माँग और उत्पादन का स्तर कितना है;

(ख) वर्ष 2020 के अप्रैल से अगस्त महीने के लिए इस्पात उद्योग के उपक्रमों की माँग, उत्पादन और निर्यात का स्तर किना है;

(ग) सरकार द्वारा ग्राहकों को अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर घरेलू विनिर्मित लोहा और इस्पात उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) सरकार इस्पात के आयात के स्थान पर घरेलू इस्पात का उपयोग बढ़ाने के लिए क्या-क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क): अप्रैल से अगस्त 2020 (अनंतिम) तक की अवधि के लिए देश में कुल फिनिश्ड इस्पात (अलाय और गैर अलाय) के उत्पादन और मांग/खपत का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

मद	**कुल फिनिश्ड इस्पात (अलाय और गैर अलाय) (एमटी)***
उत्पादन	29.05
खपत	26.41
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति; एमटी = मिलियन टन; *अनंतिम	

(ख): अप्रैल- अगस्त 2020 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के दो इस्पात उपक्रम अर्थात स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएऩएल) द्वारा इस्पात की मांग/घरेलू ब्रिकी, उत्पादन और निर्यात का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

इस्पात पीएसयू का नाम	**उत्पादन (एमटी)**	**घरेलू ब्रिकी (एमटी)**	**निर्यात (एमटी)**
सेल	4.835	4.26	1.044
आरआईएनएल	1.153	0.862	0.542
स्रोत: सेल और आरआईएनएल, एमटी = मिलियन टन			

(ग): चूंकि इस्पात एक नियंत्रण मुक्त क्षेत्र है, इसलिए इस्पात की कीमत बाजार-आधारित है। तथापि, सरकार ने घरेलू विनिर्मित लौहा और इस्पात उत्पादों को देश के अंदर और निर्यात हेतु प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, अर्थात: -

(i) केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों और उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी एजेंसियों/संस्थाओं द्वारा और इन एजेंसियों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए घरेलू रूप से विनिर्मित लोहा एवं इस्पात उत्पादों की खरीद के लिए घरेलू रूप से विनिर्मित लोहा और इस्पात उत्पाद नीति (डीएमआई और एसपी)।
(ii) मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआईएस), मार्किट एक्सेस इनिशिएटिव, निर्यात संवर्धन परिषद, एडवांस अथॉराइजेशन, पूंजीगत माल का निर्यात संवर्धन (ईपीसीजी) आदि जैसी निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं।
(iii) कोकिंग कोयला, लौह अयस्क, इस्पात स्क्रैप, निकेल आदि जैसे महत्वपूर्ण इनपुट पर सबसे कम आयात शुल्क जारी रखना।
(iv) लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए बहुमॉडल लॉजिस्टिक को प्रोत्साहित करना, अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय नौपरिवहन के इस्तेमाल को बढ़ाना।
(v) संवर्धित निर्यात के लिए इस्पात क्षेत्र को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु सहायता देने के लिए कैप्टिव लौह अयस्क का आवंटन और इस्पात कलस्टरों पर बल देना।

(घ): आयात को कम करने में सहायता देने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) इस्पात आयातों के अग्रिम पंजीकरण के लिए इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस))। इसका उद्देश्य सरकार और उद्योग को आयात में किसी प्रकार की वृद्धि के बारे में अग्रिम सूचना देने के अलावा घरेलू विनिर्माण संबंधी योजना बनाने के लिए देश में आयात किए जा रहे परिशुद्ध इस्पात ग्रेडों की पहचान में सहायता प्रदान करना है।
(ii) गैर-मानकीकृत इस्पात आयात और विनिर्माण को रोकने और देश में गुणवत्तायुक्त इस्पात की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (एसक्यूसीओ) जारी करना।
(iii) मूल्यवर्धित इस्पात, अनुषंगियों, पूंजीगत सामग्री आदि के लिए विनिर्माण यूनिटों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ इस्पात कलस्टरों की स्थापना को बढावा देने के लिए मसौदा फ्रेमवर्क नीति।

****